प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक एवं निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0/आई0जी0आई0सी0, पटना के साथ दिनांक–12.06.2019 को 11:00 बजे (पूर्वाह्न) सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक की उपस्थिति :– सूची संलग्न

सर्वप्रथम पूर्व के बैठकों की कार्यवाही द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी–

क्र0 सं0	विषय/बिन्दु	निदेश/निर्णय	अनुपालनकर्त्ता
1.	Radiation Safety Audit	1. राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का Radiation Safety Audit, CARE के consultant से कराया गया है एवं उनसे प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित संस्थानों को इस अनुरोध के साथ भेजा जा चुका है कि वे प्रतिवेदित कमियों का निराकरण अवलिम्ब कर लें और इस आशय का प्रमाण–पत्र देंगे। 2. साथ ही, CARE के consultant श्री जोसेफ से समन्वय स्थापित कर सदर अस्पतालों Radiation Safety Audit से संबंधित प्रतिवेदन पुनः प्राप्त कर संबंधित सिविल सर्जन को उपलब्ध कराने एवं उनको अनुशंसा के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित करने का आदेश प्राप्त हुआ। 3. अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई हेतु निर्धारित अवधि दो माह तय की गई।	**अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।** **अपर सचिव, प्रशाखा–1**
2.	Model Tender Document.	निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना द्वारा सुरक्षा हेतु Model Tender प्रकाशित करने की सूचना दी गई। नये भवन के क्रियाशील होने तक अन्य कार्यों को पूर्व की भाँति करने/कराने की अनुमति की अपेक्षा की गई। 2. सभी संस्थानों को साफ–सफाई की व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को उन्नत करने का निदेश दिया गया। 3. BMSICL को निदेश दिया गया कि वे कम से कम MCH के साफ–सफाई/sanitation कार्य के लिए अपने स्तर से निविदा आमंत्रित करें। 4. सभी संस्थानों के प्राचार्य/अधीक्षक अपने–अपने संस्थान के खाली जमीन पर हरियाली को विकसित करें एवं कैम्पस को सुन्दर रखने के लिए आवश्यक प्रयास करें।	**BMSICL, पटना/ प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**
3.	अमृत योजना का क्रियान्वयन।	राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में इसका क्रियान्वयन 15, जून तक हो जाने की सूचना दी गई। संबंधित प्रतिवेदन राज्य औषधि नियंत्रक को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।	**राज्य औषधि नियंत्रक**
4.	आई बैंक की स्थापना।	<u>NMCH, पटना</u> – स्थल चिन्हित। – आवश्यक मशीन उपकरण की आपूर्ति हो चुकी है। वैकल्पिक स्थान निगम को दिया जा चुका है। <u>PMCH, पटना</u> – Cornea Harvesting एवं Cornea Grafting प्रारंभ किया जा चुका है।	**अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–18/ प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/राज्य औषधि नियंत्रक**

		ANMMCH, गया – लाईसेन्स नहीं मिला है। – भवन हस्तगत हो चुका है। डॉक्टर जावेद को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित है। SKMCH, मुजफ्फरपुर – लाईसेन्स हेतु आवश्यक शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ले आने की सूचना दी गई। लाईसेन्स प्राप्त होते ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। DMCH, दरभंगा एवं GMC, बेतिया – लाईसेन्स नहीं मिला है। VIMS, पावापुरी – आई0 बैंक की स्थापना नहीं हुई है। आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।	
5.	CT Scan / MRI	1. बेतिया को छोड़कर अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों में CT Scan स्थापित एवं कार्यरत है। 2. पी0एम0सी0एच0, एन0एम0सी0एच0, डी0एम0सी0एच0 और भागलपुर में MRI अधिष्ठापित एवं कार्यरत है। 3. एस0के0एम0सी0एच0 में load test report प्राप्त होते ही MRI मशीन अधिष्ठापित हो जायेगा। अधीक्षक एवं निगम द्वारा एक माह में कार्य सम्पन्न हो जाने का आश्वासन दिया गया। 4. शेष चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भी MRI अधिष्ठापन हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निदेश निगम दिया गया। 5. अधीक्षक, NMCH, पटना की सूचना पर की संबंधित एजेंसी द्वारा अलग बिजली मीटर नहीं रहने के कारण बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया है कि NMCH के अधीक्षक CT Scan/MRI भवन में अलग बिजली मीटर लगवा कर एजेंसी को दें। 6. बेतिया में CT Scan मशीन पहुँच जाने की सूचना दी गई। इसे 20, मई तक अधिष्ठापित कर लिए जाने का निदेश दिया गया। 7. चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में, कम दर होने के बावजूद, CT Scan/MRI के लिए कम मरीजों के पहुँचने की सूचना के आलोक में प्रधान सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात् इसे जन–जन की जानकारी में लाने के लिए समाचार पत्रों में एवं अन्य संचार माध्यमों से विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रचारित कराया जाय, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। 8. वर्तमान स्थिति पूर्व के अनुरूप है। MRI की संख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया। NMCH, पटना में MRI हेतु बाहर के मरीजों के आने की सूचना दी गई।	**BMSICL, पटना / सभी अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार**
6.	HRIS Portal	हाल में हुए स्थानान्तरण / पदस्थापन के आलोक में HRIS Portal को update करने का निदेश दिया गया।	**प्राचार्य / अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**

7.	संस्थान के Website को Update/Upgrade करना	निदेश दिया गया कि सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल MCI के मानक के अनुरूप अपने Website को Update/Upgrade कराया जाना सुनिश्चित करें।	**प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**
8.	एन0एम0सी0एच0 में कोकलीयर इम्पलान्ट की स्थापना।	BMSICL, पटना द्वारा आवश्यक प्राक्कलन उपलब्ध कराये जाने की सूचना दी गई। प्रशाखा स्तर से कार्रवाई का निदेश दिया गया है।	**अपर सचिव, प्रशाखा–1**
9.	पटना दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के लिए उपकरणों का क्रय।	BMSICL, पटना द्वारा Single Bid प्राप्त होने की सूचना दी गई है। नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।	**BMSICL, पटना।**
10.	वर्ग–3 एवं 4 के रिक्त पदों पर नियुक्ति।	<u>JLNMCH, भागलपुर</u> कुछेक पदों को छोड़कर विभिन्न पदों पर रोस्टर गठन किया जा चुका है। <u>GMC, बेतिया</u> नर्स को छोड़कर विभिन्न पदों पर पदस्थापना किया जा चुका है। अधीक्षक, GMCH, बेतिया को प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है। <u>ANMMC, गया</u> – ग्रुप–3 के पदों पर रोस्टर गठन हो गया है। ग्रुप–4 के पदों के लिए आंशिक रूप से रोस्टर का गठन बाकी है। आयुक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्रवाई का निदेश दिया गया है। – पूर्व में दिये गये निदेश के क्रम में पुनः अन्य सभी संस्थानों को संबंधित आयुक्त/जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर रोस्टर गठन करने का निदेश दिया गया।	**प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**
11.	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में Bio Medical Engineer की पदस्थापना।	सभी प्राचार्य एवं अधीक्षकों द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में Bio Medical Engineer की आवश्यकता रेखांकित की गई। प्रधान सचिव द्वारा वाह्य स्त्रोत से इन्हें लेने के लिए SRU से terms एवं conditions निर्धारण हेतु आवश्यक प्रारूप तैयार कराने का निर्णय लिया गया। – साथ ही प्रशाखा–17 को Bio Medical Engineer एवं Radiation Physicist की नियुक्ति नियोजन का निदेश दिया गया।	**अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17**
12.	रद्दी सामानों का रद्दीकरण।	विभिन्न संस्थानों से इस कार्य हेतु जिला पदाधिकारी से प्रतिनिधि के तौर पर एक सदस्य को नामित करने का अनुरोध किया गया है। – रद्दीकरण का कार्य सम्पन्न होने से संस्थान को अतिरिक्त स्थान प्राप्त होगा, जिसमें छोटे विभाग आसानी से शुरू किये जा सकेंगे। – शीघ्र कार्रवाई का निदेश दिया गया।	**प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**
13.	अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स–रे मशीन की कमी।	निगम द्वारा विभिन्न संस्थानों को वांछित अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स–रे मशीन की आपूर्ति किया गया है। – रेडियोलॉजिस्ट एवं गायनेकोलॉजिस्ट की आवश्यकता संसूचित की गई। निगम द्वारा अतिरिक्त समय की माँग की गई। आपसी समन्वय स्थापित कर शीघ्र अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स–रे मशीन क्रियाशील करने का निदेश दिया गया।	**BMSICL, पटना/ अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**

14.	संविदागत चिकित्सकों से कार्य लेना।	संविदागत चिकित्सकों का ओ0पी0डी0 कब है, उन्हें कितने बेड आवंटित हैं, विभागों में कितने PGs हैं/LTs/OTs की सूचना सभी संस्थानों को देने का निदेश दिया गया।	**प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**
15.	GeM पोर्टल पर निबंधन।	पुनः सभी संस्थानों को एक माह के अन्दर निश्चितरूपेण अपना निबंधन GeM पोर्टल पर कराने का निदेश दिया गया।	**प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**
16.	केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत विभिन्न संस्थानों में Skill centres की स्थापना।	संबंधित संस्थानों को जगह चिह्नित कर निगम के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन ससमय कराने का निदेश दिया गया। निगम को MoU के आलोक में शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर योजना पर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। निगम द्वारा अगले सप्ताह में प्राक्कलन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।	**BMSICL, पटना/ प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**
17.	PMSSY अन्तर्गत सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक/ विभागों के निर्माण की योजना की समीक्षा।	प्रधान सचिव द्वारा राज्य के 5 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में PMSSY फेज– III एवं IV के अन्तर्गत बन रहे सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। – कार्यकारी अभियन्ता, CPWD, पटना द्वारा निधि की माँग की गई। – भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन प्रत्येक माह समर्पित करने का निदेश के कार्यकारी अभियन्ता, CPWD, पटना को दिया गया। प्रगति प्रतिवेदन संतोषप्रद रहने की स्थिति में शीघ्र राज्यांश की राशि निर्गत करने का आश्वासन दिया गया है।	**प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/ कार्यकारी अभियन्ता, CPWD, पटना/भागलपुर, गया/दरभंगा/ मुजफ्फरपुर**

2– छोटे–छोटे अनुरक्षण मरम्मति को लेकर संबंधित संस्थानों को स्थानीय स्तर पर PHED, PWD एवं विद्युत विभाग से संबंधित कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पूर्ण रूप से सक्षम होने तक प्रत्यायोजित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यों को कराने की अनुमति प्रदान की गई।

अनुपालन–निदेशक, आई0जी0आई0सी0, पटना/ प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार

3– गत् बैठकों के निर्णय के अनुपालन की समीक्षा के उपरान्त प्राचार्य एवं अधीक्षकों द्वारा अपने–अपने संस्थान की कठिनाईयों का उल्लेख किया गया। प्रधान सचिव द्वारा उन्हें पत्र के माध्यम से (लिखित रूप में) अपनी समस्या रखने का निदेश दिया गया ताकि उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

4– प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बैठक की कार्यवाही के आलोक में सभी संस्थान आगामी बैठक के पूर्व अपना अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

26/6/2019

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

क्रमशः

ज्ञापांकः–1/विविध–14/2018– 799(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 27/6/2019

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/6/2019

प्रधान सचिव